

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा  
कि विसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
उम्बविद्यत विषय पर यदि पूर्व में पञ्च  
व्यवहार कुआ हो तो पञ्च क्रमाकृत एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : दूलीवर्डी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसंचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांकःएफ/महा.वि.प./2011/ ३६४०

दिनांकः ३०/०७/११

## // अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शारी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(री) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये विर्णयालुसार शारी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : आर.जी.एम. कॉलेज, श्योपुर

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर

2. डॉ. महेन्द्र रिंग सोलांकी, सदस्य, कार्यपरिषद्

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, आर.जी.एम. कॉलेज, श्योपुर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शारी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पञ्च प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शारी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शारी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शारी निकाय की बैठक में उपरियत होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता  
महाविद्यालयीन विकास परिषद